

बिहार सरकार
विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था०-02-03/2010/ 32 /जे०, दिनांक-12.03.2013

पूर्व निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं०-159जे० दिनांक-30.11.2012 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कार्यहित में श्री उदय कान्त चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), विधि विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रशाखा-“ए” का कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

ह०/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक 13-03-13

ज्ञापांक1969/जे०

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक (निर्गत शाखा), विधि विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री उदय कान्त चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), विधि विभाग, बिहार, पटना तथा श्री मो० असलम उद्दीन, प्रशाखा पदाधिकारी, सी-2, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह
13-3-13
(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।
13/3/13